UPGK010040782026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1649/2026

झगाडू यादव उर्फ हरीकेश यादव उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र बेचई यादव निवासी मंझरिया, थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**विपक्षी**

सत्र वाद संख्या–129/2018
मु०अ०सं०–84/2014
अंतर्गत धारा–147,148,323,336,427,452 IPC
व धारा 3(1) 10 SC/ST Act
थाना–बड़हलगंज, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक–23–06–2026

1. आवेदक/अभियुक्त **झगाडू यादव उर्फ हरीकेश यादव** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र स्वयं द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

2. अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है।

3. सक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 16–03–2014 को 11:00 बजे रात को सूचनादाता श्रीमती लीलावती देवी के ही गॉव के दबंग गुण्डे तरीके के लोग सूचनादाता के घर आकर ईटा, पत्थर चलाने लगे और सूचनादाता के घर का चैंनल, जगला व दिवार तोडने लगे और घर में घुसकर हम सबको मारने लगे और सूचनादताा के गाँव के सत्यपाल यादव, सोनू यादव, जीतू यादव, राम नरायन यादव, दीनानाथ, छगाडू, सोनृ, रंजीत, वीरा, विकास, संदीप, श्यामदुलारे सूचनादाता के भाई बृजेश व गुड्डू से मिलकर उन्हीं के घर से संबल, टॉगी, गड़ासी लेकर सूचनादाता की दिवाल, जंगला, तोडकर घर में घुसकर चोरी करने लगे और हम सब को मारने लगे। सूचनादाता के बच्चे किसी तरह चिल्लाये तब गाँव वाले जुटे और थाने पर फोन किए तो मौके पर पुलिस पहुँची सारी स्थिति देखी और मौका मुआइना किए और वे लोग भाग गये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष एवं बेकसूर व्यक्ति है। प्रार्थी को विरोधियों से मिली भगत करके फर्जी तौर से मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार का कोई दंगा कारित करने का कार्य नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा किसी को मारा पीटा नही गया है और न ही किसी प्रकार की कोई लापरवाही पूर्वक कार्य किया गया है जिससे मानव जीवन या दुसरे व्यक्ति की सुरक्षा प्रभावित हो। प्रार्थी द्वारा किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति का नुकसान नहीं किया गया है और न ही किसी के घर में घुसकर कोई हमला कारित किया गया है। प्रार्थी ने वादी मुकदमा को समाजिक स्थान पर जाति सूचक शब्दो प्रयोग करके गाली गुप्ता नहीं दिया गया है। प्रार्थी के सहअभियुक्त की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा मंजुर कर ली गयी है। प्रार्थी का कोई आपराधिक

इतिहास नहीं है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के घर पर ईटा, पत्थर चलाने तथा उसके घर का दिवाल, जंगला तोड़कर घर में घुसकर चोरी किये जाने एवं मारने पीटने का अभियोग है। सह अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत प्रकरण में अंतरिम जमानत पर है, जिसका उसके द्वारा दुरूपयोग नहीं किया गया है।

8. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773 में दिये गये आधार पर तथा** उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

9. आवेदक/अभियुक्त **झगाडू यादव उर्फ हरीकेश यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या– 1649/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा **मु0–50,000/–** रूपये का निजी बंधपत्र व समान धनराशि की दो सक्षम प्रतिभूं न्यायालय में दाखिल करने पर न्यायालय की संतुष्टि पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन अंडरटेकिंग देने पर रिहा किया जाये कि–

1- आवेदक/अभियुक्त, विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

2- आवेदक/अभियुक्त, वादी मुकदमा पक्ष पर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनायेगा और न ही गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा।

3- आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार का कोई विवाद भविष्य में कारित नहीं करेगा।

4- आवेदक/अभियुक्त किसी भी विवाद में संलिप्त नहीं होगा यदि आवेदक/अभियुक्त किसी विवाद में संलिप्त पाये जाता है तो उसकी जमानत निरस्त किये जाने हेतु न्यायालय स्वतंत्र है।

दिनांक 23.06.2026

(प्रतीक्षा नागर)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

I.D. No.–UP02399

Digitally signed by PRATIKSHA NAGAR
Date: 2026.06.23 16:42:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court